भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. 1341 एफ–4(बी)–1–2014–ए–सोलह भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2023

प्रारूप 1

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (1948 का 11) की धारा 3 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना कमांक 4 (सी)–1–2013–ए–सोलह, दिनांक 29 सितंबर, 2014 को अधिक्रमित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, किसी **अगरबत्ती विनिर्माणशाला में नियोजन** के संबंध में मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करना का प्रस्तावित करती है तथा एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा प्रारूप अधिसूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर मध्यप्रदेश राजपत्र में इस प्रारूप अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दो मास का अवसान होने पर विचार किया जाएगा।

किसी भी ऐसी आपत्ती या सुझाव पर जो उक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में, किसी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने पर या उसके पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रस्ताव

राज्य सरकार नियोजन हेतु, नीचे यथा विनिर्दिष्ट अनुसूची में न्यूनतम मजदूरी की दरों को पुनरीक्षित किया जाना प्रस्तावित करती हैं।

अनुसूची

कर्मचारियों के वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दर
(1)	(2)	(3)
(अ) अगरबत्ती रोलर (1000 अगरबत्ती रोल करने पर)		मूल्य सूचकांक पर आधारित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की गणना नीचे दी गई अनुसूची में दिए गए स्पष्टीकरण अनुसार देय होगी।
1–साधारण	रू 44.25	100 पैसे प्रति 4000
2–सुगंधित (सेन्टेड)	रू. 45.00	100 पैसे प्रति 4000

(आ) निम्न वजन के अनुसार अगरबत्ती गिनना, बटर पेपर की झिल्ली लपेटना, खाली पेकेट में भरकर पेकेट के दोनो ओर चिट लगाकर पेकेट बन्द करना :–				
बिना सिलोफेन या जिलेटिन के :–				
(1) 10 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रू. 39.60 पैसे	100 पैसे प्रति बिन्दु 500		
(2) 20 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रू. 40.68 पैसे	100 पैसे प्रति बिन्दु 500		
(3) 30 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रू. 40.68 पैसे	100 पैसे प्रति बिन्दु 500		
(4) 40 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रू. 51.54 पैसे	100 पैसे प्रति बिन्दु 400		
(5) 70 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रू. 68.83 पैसे	100 पैसे प्रति बिन्दु 300		
(6) 80 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रू. 79.93 पैसे	100 पैसे प्रति बिन्दु 250		
(7) 100 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रू. 81.90 पैसे	100 पैसे प्रति बिन्दु 250		
(8) 200 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रू. 100.95 पैसे	100 पैसे प्रति बिन्दु 200		
सिलोफेन या जिलेटिन के :–				
(1) 10 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रू. 40.68 पैसे	100 पैसे प्रति बिन्दु 500		
(2) 20 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रू. 50.75 पैसे	100 पैसे प्रति बिन्दु 400		
(3) 30 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रू. 64.35 पैसे	100 पैसे प्रति बिन्दु 300		
(4) 40 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रू. 66.20 पैसे	100 पैसे प्रति बिन्दु 300		
(5) 70 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रू. 69.39 पैसे	100 पैसे प्रति बिन्दु 300	प्रति सैकड़ा रू. 7.78 पैसे	50 पैसे प्रति बिन्दु 500
(6) 80 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रू. 81.90 पैसे	100 पैसे प्रति बिन्दु 250	प्रति सैकड़ा रू. 8.25 पैसे	50 पैसे प्रति बिन्दु 500
(7) 100 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रू. 98.75 पैसे	100 पैसे प्रति बिन्दु 200	प्रति सैकड़ा रू. 10.61 पैसे	50 पैसे प्रति बिन्दु 400
(8) 200 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रू. 103.09 पैसे	100 पैसे प्रति बिन्दु 200	प्रति सैकड़ा रू. 14.30 पैसे	50 पैसे प्रति बिन्दु 300

(इ) निम्नानुसार पुंगली बनाकर पैक करना निम्न संख्या में अगरबत्तियों को गिन कर झिल्ली लपेटना, पुगलियों में भरना, लेबल या सिलोफेन या जिलेटीन का ब्राउन पेपर लगाकर बंद कर चिट लगाना :–		
बिना सिलोफेन या जिलेटिन के :–		
(1) 10 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा रू. 33.13 पैसे	100 पैसे प्रति बिन्दु 600
(2) 12 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा रू. 34.15 पैसे	100 पैसे प्रति बिन्दु 600
(3) 23 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा रू. 40.63 पैसे	100 पैसे प्रति बिन्दु 500
(4) 50 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा रू. 41.74 पैसे	100 पैसे प्रति बिन्दु 500
(5) 100 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा रू. 50.75 पैसे	100 पैसे प्रति बिन्दु 400
(6) 200 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा रू. 53.38 पैसे	100 पैसे प्रति बिन्दु 400

(ई) सादे लिफाफे में अगरबत्ती रखकर बंद करना :– **बिना सिलोफेन या जिलेटीन के:–**		
(1) 5 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा रू. 7.61 पैसे	100 पैसे प्रति बिन्दु 2500
(2)10 अगरबत्ती के लिफाफे के लिए रोल बनाना	प्रति सैकड़ा रू. 9.05 पैसे	100 पैसे प्रति बिन्दु 2200
(3) पुंगली बनाने के कागज (रोलिंग पेपर्स)	प्रति एक हजार रू. 50.33 पैसे	100 पैसे प्रति बिन्दु 1500

कर्मचारियों का वर्ग (मासिक दर)
न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरें

कर्मचारियों का वर्ग (1)	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें (2)		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता (3)
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
एकाउन्टेंट, केशियर, गोडाउन कीपर, हेडक्लर्क, स्टोरकीपर	रू.12294	रू. 472.85	मूल्य सूचकांक पर आधारित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की गणना नीचे दी गई अनुसूची के पैरा एक में दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार की जाएगी।
टायपिस्ट, क्लर्क,	रू.10571	रू. 406.58	
मिस्त्री, ड्रायव्हर, पेटी बनाने वाला,	रू.10544	रू. 405.54	
पेटी भरने वाला, मसाला तोलने वाला	रू.12294	रू. 472.85	
पूड़ा बनाने वाला, मसाला भरने वाला, भृत्य, चौकीदार	रू. 9575	रू. 368.27	

नोट :—अगरबत्ती उद्योग से संबद्ध कर्मचारी, जैसे पेटी बनाने वाला, मिस्त्री, ड्रायव्हर, पेटी भरने वाला, मसाला तोलने वाला, एकाउन्टेंट, केशियर, गोडाउन कीपर, स्टोर कीपर, टायपिस्ट, क्लर्क, भृत्य, चौकीदार आदि की दैनिक या मासिक मजदूरी न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत समय—समय पर निर्धारित कुशल, अर्द्धकुशल, अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के वेतन के अनुसार विनियमित होंगे।

—: स्पष्टीकरण :—

1. **परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता** उपरोक्त अनुसूचि के स्तम्भ (3) में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 311 (2001=100) जनवरी, 2019 से जून, 2019 के आधार आंकड़ों के औसत के पर आधारित है। 311 सूचकांक के पर प्रति छः माह में जो औसत वृद्धि होगी उसी अनुपात में अनुसूची के स्तम्भ 2 में दर्शाई गई वेतन दरों में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर जैसी भी स्थिति हो, प्रतिबिन्दु प्रतिमाह रूपये 25/— के हिसाब से की जाएगी। 1 अप्रैल से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में वृद्धि की गणना गत जुलाई से दिसंबर तक छः माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जाएगी, इसी प्रकार 1 अक्टूबर से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में वृद्धि की गणना गत जनवरी से जून तक छः माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जाएगी, जिसकी घोषणा सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय—समय पर की जाएगी।

2. अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जाएगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ब) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक इन वेतन दरों में सम्मिलित है।

3. निर्धारित मासिक वेतन कैलेण्डर माह की समाप्ति पर देय होगा, एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जाएगा।

4. किसी भी स्थापना अथवा उपक्रम में प्रचलित वेतन दरें अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दरों तथा देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से अधिक होने पर यह समझा जाएगी कि स्थापना या उपक्रम द्वारा अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दर तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते दिये जाने का पालन किया जा रहा है। यदि स्थापना या उपक्रम द्वारा देय न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते का योग अधिसूचित न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से कम है तो श्रमिक अंतर की राशि के लिए पात्र होंगे।

5. कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताये गये हैं, वे उदाहरण स्वरूप हैं, न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं है, के लिए न्यूनतम वेतन की दर वही होगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है।

6. मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को पूर्णांक करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जाएगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–9–7/2006/नियम/चार दिनांक 20.9.06 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हों तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जाएगी और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगी।

प्रारूप 2

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 3 की उप–धारा (1) के खण्ड (एक) के उप–खण्ड (क) तथा (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व अधिसूचना कमांक एफ. 4 (बी)–1–2014–ए–सोलह, दिनांक 29 सितम्बर, 2014, जो मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 में प्रकाशित हुई थी, को अधिक्रमित करते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची के भाग–2 में उल्लिखित कृषि में नियोजन में मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करना प्रस्तावित करती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित की जाती है और एतदद्वारा यह प्रारूप अधिसूचना दी जाती है, जिस पर मध्यप्रदेश राजपत्र में इस प्रारूप अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दो मास का अवसान होने पर विचार किया जाएगा।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में, किसी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने पर या उसके पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रस्ताव

राज्य सरकार, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लिखित अनुसूचित नियोजन के संबंध में कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट प्रवर्गों हेतु, कॉलम (4) में उल्लिखित न्यूनतम वेतन तथा कॉलम (5) में यथा उल्लिखित परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें पुनरीक्षित करना प्रस्तावित करती है।

अनुसूची

क्रमांक	नियोजन का नाम	न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरें		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दरें
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	
1	2	3		4
1	**कृषि नियोजन** अकुशल कृषि श्रमिक	7660	255.32	न्यूनतम मजदूरी की दरें तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता, जो लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 930 (1986–87=100) जनवरी, 2019 से जून,2019 के आधार पर आंकडों के औसत के उपर प्रति 6 माह में हुई औसत वृद्धि के अनुपात में 1 अप्रैल तथा 1 अक्टूबर से प्रतिबिन्दु प्रतिमान रूपये 6/– के मान से देय होगा। एक अप्रैल से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की गणना गत जुलाई से दिसंबर तक 6 माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जाएगी तथा एक अक्टूबर से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की गणना गत जनवरी से जून तक 6 माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जाएगी, जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित की जाएगी।

स्पष्टीकरण

1. मासिक मजदूरी पर नियुक्त किसी कर्मचारी का दैनिक वेतन 30 से भाग देकर संगणित किया जाएगा।

2. अधिसूचित न्यनूतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दर से अधिक है तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जाएगी।

3. इस अधिसूचना के अन्तर्गत वेतन दरें महिला एवं पुरूषों के लिए एक समान नियत है।

4. कृषि नियोजन के अतिरिक्त सभी नियोजनों के लिए निर्धारित की गई न्यूनतम मजदूरी की दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 (कमांक 11 सन् 1948) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है।

5. नियोजन में बाल श्रमिकों को यदि किन्ही प्रकियाओं में प्रतिबंधित नहीं किया गया है, बाल श्रमिकों का नियोजन होने पर उन्हें अकुशल श्रमिक का इस अधिसूचना अनुसार देय मजदूरी का 70 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा।

प्रारूप 3

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 3 की उप–धारा (1) के खण्ड (एक) के उप–खण्ड (क) तथा (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ. 4 (बी)–1–2014–ए–सोलह दिनांक 15 मई, 2015, जो मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 में प्रकाशित हुई थी, को अधिक्रमित करते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची के भाग–1 में यथा उल्लिखित अनुसूचित नियोजन में मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करना प्रस्तावित करती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित की जाती है और एतदद्वारा यह प्रारूप अधिसूचना दी जाती है, जिस पर मध्यप्रदेश राजपत्र में इस प्रारूप अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दो मास का अवसान होने पर विचार किया जाएगा।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में किसी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने पर या उसके पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रस्ताव

राज्य सरकार, नीचे दी गई अनुसूची कॉलम (2) में उल्लिखित अनुसूचित नियोजन के संबंध में कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट प्रवर्गों हेतु, कॉलम (4) में उल्लिखित न्यूनतम मजदूरी तथा कॉलम (5) में यथा उल्लिखित परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें पुनरीक्षित करना प्रस्तावित करती है।

अनुसूची

क्रमांक	नियोजन का नाम	कर्मचारियों का वर्ग/श्रेणी	मजदूरी की न्यूनतम दरें		परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें
			प्रतिमाह	प्रतिदिन	
1	2	3	4		5
1.	किसी कपास जिनिंग एवं प्रेसिंग कारखाने में नियोजन	उच्च कुशल जैसे:— कम्प्युटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्युटर आपरेटर–सह स्टेनोटायपिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि	13919	535.35	समय–समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार।

		लिपिकिय वर्ग श्रेणी एक जैसेः– एकाउअेंट, केशियर, गोडाउन कीपर आदि।	12294	472.85	–तदैव–
		श्रेणी दो जैसे –टायपिस्ट, क्लर्क आदि।	10571	406.59	–तदैव–
		कुशल जैसे–फीटर, बायलर, अटेंडेंट, टर्नर, मोल्डर, इंजिन ड्राईवर, आदि	12294	472.85	तदैव–
		अर्धकुशल जैसे–ब्लेकस्मीथ, कारपेंटर, फायरमेन, कोबलर, वाल्वमेन, हाफप्रेसमेन आदि	10571	406.59	–तदैव–
		अकुशल जैसेः– रोलकटर, आईलमेन, चौकीदार, कुली, जिन मुकादम, जिन मुकादमी, कपास केरियर, डालेवाला, गनीब्रेग, फिलर, लिंट केरियर, काटनसीडस केरियर, बोंडेवाली कपास पीकर, स्वीपर, जिन फीडर आदि	9575	368.27	–तदैव–
		खण्ड दर पर लबाडिया (लेशर), तौलवाला, बेलसिवर (सीनेवाला), पालेवाला, पालेवाली डाबले, बोंदरी, फाडनेवाला, हसियन कटर (बारदान कटर)	54.14		

क्रमांक	नियोजन का नाम	कर्मचारियों का वर्ग/श्रेणी	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
1	2	3	4		5
2.	वन उपज में नियोजन	**उच्च कुशल जैसे–** कम्प्युटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्युटर आपरेटर–सह–स्टेनोटायपिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि।	13919	535.35	समय–समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार।
		लिपिकिय वर्ग श्रेणी एक जैसे– मुनीम, एकाउटेंट, केशियर, गोडाउन कीपर आदि	12294	472.85	–तदैव–
		श्रेणी दो जेसे–टाईपिस्ट, क्लर्क आदि	10571	406.59	–तदैव–
		उच्च कुशल	13919	535.35	–तदैव–
		कुशल	12294	472.85	–तदैव–
		अर्धकुशल	10571	406.59	–तदैव–
		अकुशल	9575	368.27	–तदैव–
3.	मार्गो के निर्माण तथा अनुरक्षण या भवन निर्माण कार्य में नियोजन	**उच्च कुशल जैसे–** कम्प्युटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्युटर आपरेटर–सह–स्टेनोटायपिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि।	13919	535.35	समय–समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार।
		लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे– अकाउटेंट, केशियर आदि	12294	472.85	- तदैव-

		लिपिकिय वर्ग श्रेणी दो जैसे– टाईपिस्ट, क्लर्क आदि	10571	406.59	–तदैव–
		कुशल जैसे मेसन, कारपेंटर, केबिनेट मेकर, वूडपालिशर, प्लंबर, बोरर, ब्लेकस्मिथ, टीनस्मिथ, वेल्डर, आदि	12294	472.85	–तदैव–
		अर्धकुशल जैसे– तारस्प्रेअर, पम्पअटेंडेंट, कारपेट ड्रेसर, व्हिलबरो, केरियर, हेमरमेन, सफेदीवाला, टाईल टर्नर आदि	10571	406.59	–तदैव–
		अकुशल जैसे– मजदूर, चौकीदार आदि	9575	368.27	–तदैव–
4.	किसी लोक मोटर परिवहन में नियोजन	**उच्च कुशल जैसे–** कम्प्युटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्युटर आपरेटर–सह स्टेनोटायपिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि।	13919	535.35	समय–समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार।
		लिपिकिय वर्ग श्रेणी एक जैसे– मुख्य लिपिक, वरिष्ठ अकाउटेंट, स्टोरकीपर आदि	12294	472.85	–तदैव–
		श्रेणी दो जैसे– टाईपिस्ट, बिलमेन, यातायात कर्मचारीगण आदि	10571	406.59	–तदैव–
		कुशल जैसे– चालक (भारीवाहन), यांत्रिक (मेकेनिक), बिजलीवाला (इलेक्ट्रिशियन), रंगलेपक (पेंटर), फिटर, टर्नर, ब्लेकस्मिथ, वेल्डर, मोल्डर, कारपेंटर, शेपर, व्हलकनायजर, ग्राइंडर, ड्रीलर, फ्रेममेकर, टींकर अपहोलस्टर, आदि	12294	472.85	–तदैव–
क्रमांक	**नियोजन का नाम**	**कर्मचारियों का वर्ग/श्रेणी**	**प्रतिमाह**	**प्रतिदिन**	
1	2	3	4		5
		अर्धकुशल जैसे– असिस्टेंट मेकेनिक, असिस्टेंट हेमरमेन असिस्टेंट फिटर, असिस्टेंट टर्नर, असिस्टेंट ड्रीलर, असिस्टेंट ग्राइंडर, असिस्टेंट कारपेंटर, असिस्टेंट पेंटर असिस्टेंट टिंकर, असिस्टेंट ब्लेकस्मिथ, असिस्टेंट मोल्डर, असिस्टेंट वेल्डर, असिस्टेंट वल्कनाईजर, असिस्टेंट इलेक्ट्रीनिशियन, असिस्टेंट शेपर, असिस्टेंट पेटरर्नमेकर, असिस्टेंट ग्रासर, असिस्टेंट आईलर, असिस्टेंट टायर फिटर, चालक (हल्केवाहन), परिचालक, जांच करने वाला, निरीक्षक आदि	10571	406.59	समय–समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार।
		अकुशल जैसे– हेल्पर, वाशर, वाहन की सफाई करने वाला, व्हीकल अटेंडेंट, पहरेदार, मजदूर, स्वीपर, चपरासी आदि	9575	368.27	–तदैव–

5.	किसी इंजिनियरिंग उद्योग में नियोजन	**उच्च कुशल जैसे–** कम्प्युटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्युटर आपरेटर–सह स्टेनोटायपिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि।	13919	535.35	समय–समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार।
		लिपिकिय वर्ग श्रेणी एक जैसे– अकाउटेंट, केशियर, स्टोर कीपर, आदि	12294	472.85	–तदैव–
		श्रेणी दो जेसे– टाईपिस्ट, क्लर्क आदि	10571	406.59	–तदैव–
		कुशल जैसे– फीटर, टर्नर, मोल्डर, मेकेनिक, मशीन आपरेटर, आदि	12294	472.85	–तदैव–
		अर्धकुशल जैसे– सहायक फीटर, सहायक टर्नर, सहायक मोल्डर, सहायक वेल्डर सहायक मेकेनिक, सहायक मशीन आपरेटर आदि	10571	406.59	–तदैव–
		अकुशल जैसे– मजदूर, कुली, चौकीदार आदि	9575	368.27	–तदैव–
6.	सिंचाई कार्यो के निर्माण तथा संधारण में नियोजन	**उच्च कुशल जैसे–** कम्प्युटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्युटर आपरेटर–सह स्टेनोटायपिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि।	13919	535.35	समय समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार।
		लिपिकिय वर्ग श्रेणी एक जैसे– मुनीम, अकाउटेंट, केशियर, आदि	12294	472.85	–तदैव–
		श्रेणी दो जेसे– टाईपिस्ट, क्लर्क आदि	10571	406.59	–तदैव–
क्रमांक	**नियोजन का नाम**	**कर्मचारियों का वर्ग/श्रेणी**	**प्रतिमाह**	**प्रतिदिन**	
1	2	3	4		5
		कुशल जैसे– कारपेंटर, मेसन, वुडपालिशर, टीनस्मीथ, ब्लेकस्मीथ, प्लंबर, शावल, डायक्लीन डोजर, स्केपर, ट्रेक्टर, डंपर कोअर, डीजल पंप आदि के आपरेटर, सीनीयर मेकेनिक, फिटर टर्नर, मोल्डर, इलेक्ट्रीशियन वायरमेन, बेलसिकर आदि	12294	472.85	समय–समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार। दैव–
		अर्धकुशल जैसे– क्वेरीमेन, थ्रेसर, टारस्प्रेयर, व्हायटिंग, कलरिंग, मेसरी ड्राईवर, आदि	10571	406.59	–तदैव–
		अकुशल जैसे– मजदूर, स्वीपर, चौकीदार, भिश्ती, डार्करनर, आदि	9575	368.27	–तदैव–

7.	किसी केमिकल्स तथा फार्मास्युटिकल्स में नियोजन	**उच्च कुशल जैसे–** कम्प्युटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्युटर आपरेटर–सह स्टेनोटायपिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि।	13919	535.35	समय–समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार।
		लिपिकिय वर्ग श्रेणी एक जैसे– मुनीम, अकाउटेंट, केशियर, गोडाउन कीपर, आदि	12294	472.85	–तदैव–
		श्रेणी दो जैसे– टाईपिस्ट, क्लर्क आदि	10571	406.59	–तदैव–
		कुशल जैसे– केमिस्ट तथा लेबोरेटरीज, टेक्नीशियन के सहा., असि.फीटर, मेकेनिक, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, बायलर अटेंडेंट, वेथमिक्सर, प्लांट अटेंडेंट आदि	12294	472.85	–तदैव–
		अर्धकुशल जैसे– मशीनमेन, टेबलेट मशीन आपरेटर, बोतल फीलर, केपसूल फिलर, पैकिंग तथा लेबलिंग के कार्य में लगे श्रमिक आदि	10571	406.59	–तदैव–
		अकुशल जैसे– प्यून, हेल्पर, वाचमेन, बाटल क्लीनर, स्वीपर, चौकीदार आदि।	9575	368.27	–तदैव–
8.	किसी आरा मिल में नियोजन	**उच्च कुशल जैसे–** कम्प्युटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्युटर आपरेटर–सह स्टेनोटायपिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि।	13919	535.35	समय–समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार।
		लिपिकिय वर्ग श्रेणी एक जैसे– अकाउटेंट,केशियर,गोडाउनकीपर आदि	12294	472.85	–तदैव–
		श्रेणी दो जैसे– बिलमेन, टाईपिस्ट, क्लर्क आदि	10571	406.59	–तदैव–
		कुशल जैसे– मिस्त्री एवं अन्य कर्मचारी आदि	12294	472.85	–तदैव–
		अर्धकुशल जैसे– सहायक मिस्त्री एवं अन्य	10571	406.59	–तदैव–
		अकुशल जैसे– प्यून, चौकीदार आदि	9575	368.27	–तदैव–
क्रमांक	**नियोजन का नाम**	**कर्मचारियों का वर्ग/श्रेणी**	**प्रतिमाह**	**प्रतिदिन**	
1	2	3	4		5
9.	किसी तेल मिल में नियोजन	**उच्च कुशल जैसे–** कम्प्युटर आपरेटर ,स्टेनोग्राफर, कम्प्युटर आपरेटर–सह स्टेनोटायपिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारी,टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि।	13919	535.35	समय-समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार।

		लिपिकिय वर्ग श्रेणी एक जैसे– अकाउटेंट, केशियर, गोडाउन कीपर आदि	12294	472.85	–तदैव–
		श्रेणी दो जैसे– टाईपिस्ट, क्लर्क आदि	10571	406.59	–तदैव–
		कुशल जैसे– इंजिन ड्राईवर, फीटर, बायलर अटेंडेंट टर्नर, ब्लेकस्मिथ, मोल्डर, एवं वेल्डर, चार्जमेन, इलेक्ट्रीशियन, एक्सपेलर मास्टर, मेकेनिक, टाईमकीपर आदि	12294	472.85	–तदैव–
		अर्धकुशल जैसे– मुकादम असि.फीटर, आईलमेन, वायरमेन, पंप अटेंडेंट, एक्सपेलरमेन, फीटरमेन, मशीन अटेंडेंट आदि	10571	406.59	–तदैव–
		अकुशल जैसे– प्यून, चौकीदार आदि	9575	368.27	–तदैव
10.	किसी चावल मिल आटा मिल या दाल मिल में नियोजन	**उच्च कुशल जैसे–** कम्प्युटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्युटर आपरेटर–सह स्टेनोटायपिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि।	13919	535.35	समय–समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार।
		लिपिकिय वर्ग श्रेणी एक जैसे– अकाउटेंट, केशियर, गोडाउन कीपर आदि	12294	472.85	–तदैव–
		श्रेणी दो जैसे– टाईपिस्ट, क्लर्क, आदि	10571	406.59	–तदैव–
		कुशल जैसे– इंजिन ड्राईवर फीटर, बायलर अटेंडेंट, थ्रेशरमेन या राईस मिस्त्री या रोलर मिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, मोटरमेन तथा आपरेटर मेकेनिक टाईम कीपर आदि	12294	472.85	–तदैव–
		अर्धकुशल जैसे– असि.फीटर आईलमेन, फायरमेन आदि	10571	406.59	–तदैव–
		अकुशल जैसे– प्यून, चौकीदार आदि	9575	368.27	–तदैव
11.	किसी मुर्रापोहा निर्माणी में नियोजन	**उच्च कुशल जैसे–** कम्प्युटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्युटर आपरेटर–सह स्टेनोटायपिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि।	13919	535.35	समय–समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार।
		लिपिकिय वर्ग श्रेणी एक जैसे– अकाउटेंट, केशियर, गोडाउनकीपर आदि	12294	472.85	तदैव–
		श्रेणी दो जैसे– बिलमेन, टाईपिस्ट, बिल कलेक्टर आदि	10571	406.59	–तदैव–
		कुशल जैसे– मिस्त्री भट्टीवाला, पोहा बनाने वाला, मेकेनिक फीटर आदि	12294	472.85	–तदैव
		अर्धकुशल जैसे– असि.फीटर,आईलमेन, फायरमेन आदि	10571	406.59	–तदैव–
		अकुशल जैसे– प्यून, चौकीदार आदि	9575	368.27	–तदैव–

क्रमांक	नियोजन का नाम	कर्मचारियों का वर्ग/श्रेणी	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
1	2	3	4		5
12.	किसी खाद्य पदार्थ, जिसमें केक्स, बिस्किटस, कन्फेक्शनरी, आईसक्रीम, आईसकेंडी, सम्मिलित है एवं पेय के निर्माण में नियोजन	**उच्च कुशल जैसे–** कम्प्युटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्युटर आपरेटर–सह स्टेनोटायपिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि।	13919	535.35	समय–समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार।
		लिपिकिय वर्ग श्रेणी एक जैसे– अकाउटेंट, केशियर, आदि	12294	472.85	–तदैव–
		श्रेणी दो जैसे– टाईपिस्ट, क्लर्क आदि	10571	406.59	–तदैव–
		कुशल–	12294	472.85	–तदैव–
		अर्धकुशल	10571	406.59	–तदैव–
		अकुशल	9575	368.27	तदैव
13.	किसी पत्थर तोड़ने या पत्थर पीसने के कार्य में नियोजन	**उच्च कुशल जैसे–** कम्प्युटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्युटर आपरेटर–सह स्टेनोटायपिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि।	13919	535.35	समय–समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार।
		लिपिकिय वर्ग श्रेणी एक जैसे– अकाउटेंट, केशियर,आदि	12294	472.85	–तदैव–
		श्रेणी दो जैसे– बिलमेन, टाईपिस्ट,क्लर्क आदि	10571	406.59	–तदैव–
		कुशल–	12294	472.85	–तदैव–
		अर्धकुशल–	10571	406.59	–तदैव–
		अकुशल–	9575	368.27	–तदैव–
14.	किसी दुकान वाणिज्यिक संस्थान आवासीय होटल रेस्टोरेंट तथा नाट्यगृह में नियोजन	**उच्च कुशल जैसे–** कम्प्युटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्युटर आपरेटर–सह स्टेनोटायपिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि।	13919	535.35	समय–समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार।
		लिपिकिय वर्ग श्रेणी एक जैसे– अकाउटेंट, केशियर, गोडाउन कीपर आदि	12294	472.85	–तदैव–
		श्रेणी दो जैसे– बिलमेन, टाईपिस्ट, क्लर्क, बिलकलेक्टर आदि	10571	406.59	–तदैव–

		कुशल जैसे– सुपरवाईजर, आपरेटर, पेंटर, कारपेंटर, मकेनिक, मिस्त्री, फीटर, टर्नर, मोल्डर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, रसोईया, तन्दूरची, टी मास्टर, आर्डर मास्टर, कारीगर, मिठाई बनाने वाला कर्मचारी आदि	12294	472.85	–तदैव–
		अर्धकुशल जैसे– सहा.आपरेटर, रिवाईडर, बुकिंग क्लर्क, वायरमेन, सहायक मिस्त्री, सहायक मेकेनिक, सहायक फीटर, सहायक टर्नर, सहायक मोल्डर, सहायक रसोईया, पैंट्रिमेन, असि. वेल्डर, असि.इलेक्ट्रीशियन, असि.सेल्समेन मसालची आदि	10571	406.59	–तदैव–
		अकुशल जैसे– चपरासी, वेटर, सर्विसमेन, गेटकीपर, क्लीनर, स्वीपर, पेंटर, हेल्पर, वाचमेन, ट्रालीबाय, पोस्टरमेन, व्हेन्डर आदि	9575	368.27	–तदैव–
क्रमांक	**नियोजन का नाम**	**कर्मचारियों का वर्ग/श्रेणी**	**प्रतिमाह**	**प्रतिदिन**	
1	2	3	4		5
15.	किसी मुद्रणालय में नियोजन	**उच्च कुशल जैसे**–कम्प्युटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्युटर आपरेटर–सह स्टेनोटायपिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि।	13919	535.35	समय–समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार।
		लिपिकिय वर्ग श्रेणी एक जैसे– अकाउंटेंट, केशियर, आदि	12294	472.85	–तदैव–
		श्रेणी दो जैसे– बिलमेन, टाईपिस्ट, क्लर्क, आदि	10571	406.59	तदैव–
		कुशल श्रेणी एक जैसे – फोटोलिथोग्राफर, लिथोआर्टिस्ट, नेगेटिव स्टीचर, लिथोआफसेट, प्लेटमेकर, लिथोप्रेसमेन, लिथोऑफसेट प्लेटमेकर, लिथोआफसेट कापी पेस्टर, लिथो आफसेट प्रिंटर, तथा लेथ ब्लाक प्रिंटर, लिथो आफसेट ट्रांसफर प्रिंटर आदि	13856	532.93	–तदैव–
		कुशल श्रेणी दो जैसे– केमरा आपरेटर, कमर्शियल आर्टिस्ट, ड्राफटसमेन, हेडकम्पयूटर, इलेक्ट्रीशियन, आफटीनएचर, ड्रायकलरेचर, लाइनोआपरेटर, लाइनोमेकेनिक, मेकेनिक मोनो टाईप की बोर्ड आपरेटर, मोनो टाईप मेकेनिक आपरेटर, रोटरी प्रेसमेन, सेक्शन होल्डर सीनियर रीडर आदि	13473	518.18	–तदैव–
		कुशल श्रेणी तीन जैसे– कंपोजिटर, टाइप कास्टर, ट्रांसफर प्रिंटर, सिलेंडर प्रेसमेन, गिल्डर कारपेंटर, ट्रेडल प्रेसमेनएचर, गिलेटिंग आपरेटर, रिवाईडर स्टीचर मशीनमेन, कटर, बाईंडर, सीविंग मशीनमेन रूलिंग मशीनमेन वायर स्टीचर आदि	12294	472.85	–तदैव–

		अर्धकुशल श्रेणी एक जैसे लिथो आफसेट, फीटरमेन, असि.प्रेसमेन, वार्निशमेन, वेक्सीनर, बाक्सिग मशीनमेन, असि.प्लेटमेकर, असि. ट्रांसफर प्रिंटर, असि. लिथो आर्टिस्ट, टचर प्लेट, ग्रेनर, स्टोन पालिशर, असि.कापी पेस्टर, असि. कटर, असि. रोटा प्रिंटिंग आदि	12294	472.85	—तदैव—
		अर्धकुशल श्रेणी दो जैसे स्टेडिंग फार्म कीपर, ड्रेसर, फोल्डीग मशीनमेन, जुनियर रीडर, बाक्स पंचर, हैंड बाक्स या इन्वहलप मेकर, डिस्ट्रीब्यूटर, असि.केमरा आपरेटर, असि.एचर, लेटर प्रेस फिटर, काउंटर चेकर, नंबर या पेजीगमेन, चेकर, प्रुफ कलर, या गेली प्रेसमेन, टाईप प्रेसर, रोलर मेकर या कास्टर, ईफ० ग्राइंडर, परफोरेटर, लेबर पंजर, रूलिग फीडर, थिमिगमेन, ड्राईवर, डार्करूम असि, फाउंड्री, असि. ग्राइंडिग आपरेटर, जूनियर कम्पोजिटर, जूनि. बाईंडर जूनि० मशीनमेन, लाइनोबारमेन, रिटेल सप्लायर, फिडर स्टीरियो, टाईपर, टाईप स्टोरकीपर आदि	10571	406.59	—तदैव—
		अकुशल श्रेणी जैसे रोटरी बिलर, हैंड फोल्डर, असि.कारपेंटर, बालर, हेल्पर बाईडिंग बाय, ड्राईवर, मजदूर आक्जिलरी, गेली प्रूफ प्रेस मेन, बायलर अटेंडेंट, इश्यूचेकर, इंकर, मेटर कास्टर, पेपर सप्लायर, कास्टिंग बाय, रोलर कास्टर, चौकीदार, प्यून माली, लिथो साधारण आफसेट तथा रोटा प्रिंटिंग प्रेस में कार्य करने वाला कर्मचारी आदि	9575	368.27	—तदैव—

प्रारूप 4

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 3 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व अधिसूचना कमांक एफ. 4 (सी)–1–2013–ए–सोलह, दिनांक 8 दिसम्बर, 2014, जो मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 में प्रकाशित हुई थी, को अधिक्रमित करते हुए, राज्य सरकार, एतदव्दारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची में यथा उल्लिखित तंबाकू (बीड़ी विनिर्माण को सम्मिलित करते हुए) बीड़ी उद्योग के नियोजन में मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करना प्रस्तावित करती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित की जाती है और एतदद्वारा यह प्रारूप अधिसूचना दी जाती है, जिस पर मध्यप्रदेश राजपत्र में इस प्रारूप अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दो मास का अवसान होने पर विचार किया जाएगा।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने पर या उसके पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रस्ताव

राज्य सरकार, नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित अनुसूचित नियोजन के संबंध में कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट प्रवर्गों हेतु, कॉलम (3) में उल्लिखित न्यूनतम वेतन तथा कॉलम (4) में यथा उल्लिखित परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें पुनरीक्षित करना प्रस्तावित करती है।

अनुसूची

क्रमांक	कर्मचारियों के वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1. बीड़ी रोलर (1000 बीड़ी बेलने के लिये)	रू. 106.81 किन्तु यदि श्रमिक को किसी सप्ताह में प्राप्त होने वाले वेतन का योग रू. 747.67 से कम हो, तो उसे अधिसूचना के परिशिष्ट में बताये गये शर्तों के अनुसार कम से कम रू. 747.67 का भुगतान उस सप्ताह में किया जाएगा।	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें जनवरी,2018 से दिसंबर,2018 के लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 6730 (1960=100) पर आधारित है। इस औसत सूचकांक के उपर जनवरी,2019 से दिसंबर,2019 की अवधि में औसत वृद्धि के लिए आगामी वर्ष में 1 अप्रैल,2020 से प्रति बिन्दु 1000 बीड़ी बनाने पर 01 पैसा की दर से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय होगा, तदनुसार प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में वृद्धि की गणना गत जनवरी से दिसंबर तक एक वर्ष के औसत सूचकांक पर आधारित होगी, जिसकी घोषणा सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर की जाएगी।
2	रिलाई श्रमिक (अ) बीड़ी के कट्टों पर झिल्ली लगाने पर :–		

कमांक (1)	कर्मचारियों का वर्ग (2)	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें (3)	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दर (4)
	(1) लेबल चिपकाने तथा पूड़ों को बनाने या चिपकाने संबंधी कार्य.	रू. 79.80 पैसे प्रति हजार कट्टों पर	02 पैसे प्रति बिन्दु प्रति दो हजार
	(2) यदि कट्टे पर दोनो और लेबल लगाया जाता है.	रू. 84.60 पैसे प्रति हजार कट्टों पर	02 पैसे प्रति बिन्दु प्रति दो हजार

कमांक (1)	कर्मचारियों का वर्ग (2)	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें (3)	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दर (4)
	(ब) झिल्ली तथा लेबल लगाने संबंधी कार्य :–		
	(1) झिल्ली लेबल लगाना.	रू. 71.75 पैसे प्रति हजार कट्टों पर	02 पैसे प्रति बिन्दु प्रति दो हजार
	(2) झिल्ली लगाना.	रू. 52.66 पैसे प्रति हजार कट्टों पर	03 पैसे प्रति बिन्दु प्रति चार हजार
	(3) लेबल लगाना.	रू. 19.63 पैसे प्रति हजार कट्टों पर	02 पैसे प्रतिबिन्दु प्रति आठ हजार
	(4) पूड़ा बनाना या चिपकाना.	रू. 20.14 पैसे प्रति हजार कट्टों पर	02 पैसे प्रतिबिन्दु प्रति आठ हजार

	(स) एक हजार कट्टों पर जबकि 25 बीड़ियों का कट्टा हो :–		
कमांक (1)	कर्मचारियों का वर्ग (2)	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें (3)	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दर (4)
	(1) आड़ी तथा खड़ी पट्टी लगाने का कार्य.	रू. 298.04 पैसे प्रति लाख बीड़ी पर	04 पैसे प्रति बिन्दु प्रति लाख बीड़ी पर
	(2) झिल्ली आड़ी तथा खड़ी पट्टी लगाने का कार्य.	रू. 324.23 पैसे प्रति लाख बीड़ी पर	04 पैसे प्रति बिन्दु प्रति लाख बीड़ी पर
	(3) झिल्ली तथा नक्षी झिल्ली लगाने का कार्य.	रू. 324.23 पैसे प्रति लाख बीड़ी पर	04 पैसे प्रति बिन्दु प्रति लाख बीड़ी पर

क्रमांक	कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरें		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दरें
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	
(1)	(2)	(3)		(4)
3.	**बीडी छांटने तथा जांच करने वाले के लिए**			
(क)	तम्बाकू तथा तेन्दूपत्ता देने या बीडियां प्राप्त करने एवं उसकी छंटनी करने संबंधी कार्य करने वाला व्यक्ति	8144	313.23	न्यूनतम वेतन की दरें तथा परिवर्तनशील महगाई भत्ता जो लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 311 (2001=100) जनवरी,,2019 से जून,,2019 के आधार आंकडों के औसत के उपर जुलाई,2019 से दिसंबर,2019 में औसत वृद्धि के लिए आगामी दिनांक 1 अप्रैल,2019 से प्रतिबिन्दु रू. 25/- प्रतिमाह की दर से देय होगा। तत्पश्चात एक अप्रैल से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की गणना गत जुलाई से दिसंबर तक 6 माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जाएगी तथा एक अक्टूबर से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की गणना गत जनवरी से जून तक 6 माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जाएगी, जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित की जाएगी।
(ख)	ट्रक में माल चढाने या उतारने या बीडियों के पूडों को भरने के कार्य में लगे व्यक्ति।	7981	306.96	
4.	तम्बाकू मिश्रण तथा छानने का कार्य करने के लिए	8144	313.23	

क्रमांक	कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरें		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दरें
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	
(1)	(2)	(3)		(4)
5.	भट्टी वाला रसोइया	8144	313.23	
6.	ड्रायव्हर, (चालक) भारी वाहन	8331	320.42	
7.	ड्रायव्हर, (चालक) हल्के वाहन	8144	313.23	
8.	एकाउन्टेंट, मुनीम, केशियर, स्टोरकीपर, गोडाउनकीपर, हेडक्लर्क	8331	320.42	
9.	टायपिस्ट, क्लर्क, बिलमेन	8144	313.23	
10.	भृत्य, चौकीदार	7981	306.96	

नोट :- बीडी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों जैसे, बीडी छांटने तथा जांच करने वाला, तम्बाकू मिश्रण तथा छानने का कार्य कने वाला, भट्टी वाला रसोइया, ड्रायव्हर भारी वाहन, हल्का वाहन, एकाउन्टेंट, मुनीम, केशियर, गोडाउन कीपर, स्टोर कीपर, टायपिस्ट, बिलमैन, क्लर्क, भृत्य, चौकीदार के वेतन, न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत समय-समय पर निर्धारित कुशल, अर्द्धकुशल, अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के वेतन के अनुसार विनियमित होंगें, इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त कर्मकारों का वर्गीकरण निम्नानुसार होगा :-

(1) **कुशल** :- ड्रायव्हर (भारी वाहन), एकाउन्टेंट, मनीम, केशियर, स्टोरकीपर, हेडक्लर्क, गोडाउनकीपर।

(2) **अर्द्ध कुशल** :- बीडी छांटने तथा जांच करने वाला, भट्टीवाला, रसोइया, ड्रायव्हर (हल्का वाहन), टायपिस्ट, बिलमैन, क्लर्क।

(3) **अकुशल** :- ट्रक से माल चढाने या उतारने या बीडियों के पूडों के कार्य में लग्न श्रमिक, भृत्य, चौकीदार।

स्पष्टीकरण.

1. **परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता**

(1) उपरोक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में बीडी रोलर (1000 बीडी बेलने के लिये) श्रमिकों के न्यूनतम वेतन की प्रस्तावित पुनरीक्षित दरें जनवरी,2018 से दिसंबर,2018 के लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 6730 (1960=100) पर आधारित है, इस औसत सूचकांक के उपर जनवरी,2019 से दिसंबर,2019 की अवधि में औसत वृद्धि के लिए आगामी वर्ष में 01 अप्रैल,2020 से प्रति बिन्दु 1000 बीडी बनाने पर 01 पैसा की दर से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय होगा, तदनुसार प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में वृद्धि की गणना गत जनवरी से दिसंबर तक एक वर्ष के औसत सूचकांक पर आधारित होगी, जिसकी घोषणा सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर की जाएगी।

(2) उपरोक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में रिलाई श्रमिक तथा बीडी छांटने एवं जांच करने वालों के लिए लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 311 (2001=100) जनवरी,2019 से जून,2019 के आधार आंकडों के औसत के उपर जुलाई,2019 से दिसम्बर,2019 में औसत वृद्धि के लिए आगामी दिनांक 1 अप्रैल,2020 से प्रतिबिन्दु रू. 25/- प्रतिमाह की दर से देय होगा। तत्पश्चात एक अप्रैल से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की गणना गत जुलाई से दिसंबर तक 6 माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जाएगी तथा एक अक्टूबर से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की गणना गत जनवरी से जून तक 6 माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जाएगी, जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित की जाएगी।

2. अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जाएगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ब) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक इन वेतन दरों में सम्मिलित है।

3. उपरोक्त प्रस्ताव के कालम (3) में न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता समाहित है तथा आगामी परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता कॉलम (4) में उल्लेखानुसार देय होगा।

4. न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें रूपये 106.81 (प्रति 1000 बीडी बेलने के लिए) के साथ श्रमिकों को 5% सवैतनिक अवकाश (रू.6.22), कुल मजदूरी का 8.33% बोनस (रू.10.89) तथा 10% भविष्य निधि (रू.13.07), इस प्रकार कुल मजदूरी प्रति 1000 बीडी बेलने के लिए बीडी रोलर को रूपये 136.99 (राउण्डअप रूपये 137) दिए जाएंगें।

5. निर्धारित मासिक वेतन केलेण्डर माह की समाप्ति पर देय होगा, एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जाएगा।

6. जहां नियोजक प्रति सप्ताह 5600 बीडी बनाने के लिए लगने वाले कच्चा माल तम्बाकू, तेन्दू पत्ता, धागा पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाता, तब कर्मचारी कम से कम 5600 बीडी के लिये देय वेतन तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्त प्रति सप्ताह जिसे आगे गारन्टेड वेज कहा जाएगा प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

7. गारन्टेड वेज में कर्मचारी द्वारा किसी भी दिन उसके नियोजक द्वारा दिये गये कच्चे माल की मात्रा में वास्तव में बनाई गई बीडी का जो वेतन अर्जित करेगा, वह भी सम्मिलित होगा।

8. यदि कर्मचारी अनिच्छा से किसी भी कारणवश किसी दिन गारन्टेड वेज प्राप्त करने की मात्रा से भी कम वेतन अर्जित करता है, तो कर्मचारी गारन्टेड वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।

9. जो कर्मचारी उसे दिये गये कच्चे माल की मात्रा, यद्यपि वह 5600 बीडियां सप्ताह में बनाने के लिये पर्याप्त हो को पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाता हो तो वह गारन्टेड वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।

10. आग, विपत्ति, महामारी, असैनिक क्षोभ या इसके समान अन्य स्थिति में, जो नियोजक के नियंत्रण के बाहर है, यदि नियोजक कर्मचारी को कच्चा माल नहीं दे पाता तो कर्मचारी गारन्टेड वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।

11. किसी भी स्थापना अथवा उपक्रम में प्रचलित वेतन दरें अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दरों तथा देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से अधिक होने पर यह समझा जाएगा कि स्थापना या उपक्रम द्वारा अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दर तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते दिये जाने का पालन किया जा रहा है। यदि स्थापना या उपक्रम द्वारा देय न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते का योग अधिसूचित न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से कम है तो श्रमिक अंतर की राशि के लिये पात्र होंगे।

12. कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताये गये हैं, वे उदाहरण स्वरूप हैं, न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं है, के लिये न्यूनतम वेतन की दर वही होगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है।

13. मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को पूर्णांक करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जाएगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–9–7/2006/नियम/चार दिनांक 20.9.06 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हों तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जाएगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वीरेन्द्र कुमार सिंह, उपसचिव.